



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 125-2024/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, AUGUST 14, 2024
(SRAVANA 23, 1946 SAKA)

LEGISLATIVE SUPPLEMENT

CONTENTS

PART-I ACTS	PAGES
NIL	
PART-II ORDINANCES	
THE HARYANA CONTRACTUAL EMPLOYEES (SECURITY OF SERVICE) ORDINANCE, 2024 (HARYANA ORDINANCE NO. 1 OF 2024)	1—5
PART-III DELEGATED LEGISLATION	
अधिसूचना संख्या का०आ० 54/ह०आ० 11/1994/धा० 209/2024, दिनांक 14 अगस्त, 2024— हरियाणा पंचायती राज वित्त, बजट, लेखा, लेखा—परीक्षा, कराधान तथा संकर्म (संशोधन) नियम, 2024.	199—200
PART-IV CORRECTION SLIPS, REPUBLICATIONS AND REPLACEMENTS	
NIL	

PART-II
HARYANA GOVERNMENT
LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT

Notification

The 14th August, 2024

No. Leg. 14/2024.— The following Ordinance of the Governor of Haryana promulgated under clause (1) of article 213 of the Constitution of India, on the 14th August, 2024, is hereby published for general information:-

HARYANA ORDINANCE NO. 1 OF 2024

**THE HARYANA CONTRACTUAL EMPLOYEES (SECURITY OF SERVICE)
ORDINANCE, 2024**

**AN
ORDINANCE**

to provide security of service to contractual employees and for the matters connected therewith or incidental thereto.

Promulgated by the Governor of Haryana in the Seventy-fifth Year of the Republic of India.

Whereas the Legislature of the State of Haryana is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby promulgates the following Ordinance:-

1. (1) This Ordinance may be called the Haryana Contractual Employees (Security of Service) Ordinance, 2024.
 (2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
 (3) It shall extend to the whole of the State of Haryana.
2. In this Ordinance, unless the context otherwise requires,-
 - (a) “appointed date” means the 15th August, 2024;
 - (b) “appropriate authority” means such appointing authority, as may be notified by the Government for the Government Organization;
 - (c) “appellate authority” means such appellate authority, as may be notified by the Government for the Government Organization;
 - (d) “eligible contractual employee” means an employee engaged on contract, adhoc or outsource basis in the Government Organization on the appointed date;
 - (e) “Government” means the Government of the State of Haryana in the Human Resources Department;
 - (f) “Government Organization” means a department, board, corporation or authority under which the eligible contractual employee was working on the date of the commencement of this Ordinance;
 - (g) “prescribed” means prescribed by the rules made under this Ordinance;
 - (h) “Schedule” means the Schedule appended to this Ordinance;
 - (i) “superannuation” means such age of superannuation, as may be notified by the Government.
3. The eligible contractual employee shall be an employee who,-
 - (i) (a) has been engaged on contract by the Government Organization and is in the service of such Government Organization on the appointed date and receiving remuneration upto Rs. 50,000/- per month; or

Short title,
commencement
and extent.

Definitions.

Eligibility
conditions.

- (b) is deployed by the Haryana Kaushal Rozgar Nigam under the Deployment of Contractual Persons Policy, 2022 and is in the service of a Government Organization on the appointed date;
- (ii) has completed at least five years service in the Government Organization on full time basis as on the appointed date.

Explanation 1.- The period of service shall be considered as the period for which remuneration was made, directly or indirectly, by the Government Organization to the eligible contractual employee and shall include the period of any leave approved by the competent authority.

Explanation 2.- For the purposes of calculation of the number of years of engagement, a contractual employee who has received remuneration for at least 240 days in a calendar year shall be deemed to have worked for the entire year,

but shall not include an employee who,-

- (i) has been engaged under Centrally Sponsored Schemes paid in part or full by the Central Government; or
- (ii) has been engaged on honorarium basis; or
- (iii) has been paid remuneration for service rendered on a part time basis by the Government Organization; or
- (iv) has attained the age of fifty-eight years on the appointed date; or
- (v) has been terminated or removed by the appropriate authority on or before the date of commencement of this Ordinance.

Tenure of engagement. **4.** The eligible contractual employee shall continue to work in the Government Organization till he attains the age of superannuation.

Remuneration. **5.** (1) The eligible contractual employee shall receive a consolidated monthly remuneration equal to the entry pay in the pay level of the corresponding post along with additional remuneration as specified in the First Schedule based on the year of service rendered in the Government Organization:

Provided that where the Government Organization is unable to determine the corresponding post, the matter shall be referred to the Chief Secretary, who in consultation with the Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Finance Department, shall determine the corresponding post for the purposes of this sub-section.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the consolidated monthly remuneration including the additional remuneration specified in the First Schedule shall not be less than the remuneration drawn by the eligible contractual employee on the appointed date.

(3) The eligible contractual employee shall also receive such additional benefits, as specified in the First Schedule.

(4) The consolidated monthly remuneration shall be increased with effect from the first day of January and the first day of July every year corresponding to the increase in Dearness Allowance.

(5) The Government may notify an increment on the consolidated monthly remuneration on the completion of the first year from the date of commencement of this Ordinance and every year thereafter.

Power to amend Schedule. **6.** (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, amend or revise the Schedule.

(2) Every notification issued under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is issued, be laid before the State Legislature.

Discipline, penalties, appeals and other matters. **7.** In the matters relating to discipline, penalties, appeals and other matters not specifically provided under this Ordinance, an eligible contractual employee shall be governed by such rules, as may be prescribed.

8. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Ordinance, the Government may, by an order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Ordinance, as may appear to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of two years from the date of commencement of this Ordinance.

Power to remove difficulty.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

9. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any officer or employee of the Government or any other person or authority authorized by the Government for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Ordinance or of any rules or orders made thereunder.

Protection of action taken in good faith.

10. (1) The Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Ordinance.

Power to make rules.

(2) Every rule made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

11. The provisions of the Haryana Guest Teachers Service Act, 2019 (13 of 2019) shall be amended as specified in the Second Schedule.

Amendment of Haryana Act 13 of 2019.

FIRST SCHEDULE

(see section 5)

1.	The additional remuneration shall be fixed as follows, namely:-		
	Serial Number	Number of years of engagement on the appointed date	Additional remuneration over and above the entry pay in the pay level on the appointed date
	(i)	Over 10 years	15 percent of entry pay in the pay level
	(ii)	Over 8 years but upto 10 years	10 percent of entry pay in the pay level
		(iii) Over 5 years but upto 8 years	5 percent of entry pay in the pay level
2.	Health care benefits as notified under the Pradhan Mantri–Jan Arogya Yojna (PM-JAY) CHIRAYU Extension Scheme or as revised by the Government.		
3.	Death-cum-Retirement Gratuity at equivalent rates specified in the Code on Social Security, 2020 (Central Act 36 of 2020).		
4.	Maternity Benefit as per the provisions of the Code on Social Security, 2020 (Central Act 36 of 2020).		
5.	Benefit of ex-gratia compassionate financial assistance or compassionate appointment in Haryana Kaushal Rozgar Nigam in accordance with such policy, as may be notified by Government.		

SECOND SCHEDULE

(*see section 11*)

AMENDMENT OF THE HARYANA GUEST TEACHERS SERVICE ACT, 2019

(13of 2019)

1. In section 4 of the Haryana Guest Teachers Service Act, 2019 (13 of 2019) (hereinafter called the principal Act), the words and sign “However, such consolidated honorarium shall not exceed the minimum of the pay-scale (at the lowest grade, in the regular pay scale), extended to corresponding regular teacher of the Department.”, shall be omitted.

2. After section 4 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:-

“4A, Other benefits.- A guest teacher shall be eligible to receive the benefits under items (2), (3), (4) and (5) of the First Schedule to the Haryana Contractual Employees (Security of Service) Ordinance, 2024, with effect from the appointed date.”.

CHANDIGARH:
THE 14TH AUGUST, 2024

BANDARU DATTATRAYA
GOVERNOR OF HARYANA

.....

RITU GARG,
ADMINISTRATIVE SECRETARY TO GOVERNMENT, HARYANA,
LAW AND LEGISLATIVE DEPARTMENT.



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 137-2024/Ext.]

चण्डीगढ़, शुक्रवार, दिनांक 06 सितम्बर, 2024

(15 भद्रा, 1946 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग—I	अधिनियम	
	कुछ नहीं	
भाग—II	अध्यादेश	
	हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अध्यादेश, (2024 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1) (केवल हिन्दी में)	17–21
भाग—III	प्रत्यायोजित विधान	
	अधिसूचना संख्या का०आ० 55/के०आ० 43/1995/धा० 14/2024, दिनांक 06 सितम्बर, 2024— हरियाणा वक्फ बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति करने बारे।	201–202
भाग—IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन	
	कुछ नहीं	

भाग-II**हरियाणा सरकार**

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 6 सितम्बर, 2024

संख्या लैज 14/2024.— दि हरियाणा कॉन्फ्रैटयूअल इम्प्लॉइज (सिक्योरिटी ऑफ सर्विस) ऑर्डिनेन्स, 2024 का निम्नलिखित अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 02 सितम्बर, 2024 की स्वीकृति के अधीन एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4-क के खण्ड (ग) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा:—

2024 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 1**हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अध्यादेश, 2024****संविदात्मक कर्मचारियों की सेवा की सुनिश्चितता**

और उससे सम्बन्धित या उसके

आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु

अध्यादेश

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हरियाणा के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित।

चूंकि हरियाणा राज्य विधानमण्डल का सत्र नहीं हो रहा है तथा राज्यपाल की सन्तुष्टि हो गई है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण तुरन्त कार्रवाई करना उनके लिए आवश्यक हो गया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

1. (1) यह अध्यादेश हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अध्यादेश, 2024 कहा जा सकता है।

संक्षिप्त नाम,
प्रारम्भ तथा
विस्तार।

 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
 - (3) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।
2. इस अध्यादेश में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएँ।

 - (क) "नियत तिथि" से अभिप्राय है, 15 अगस्त, 2024;
 - (ख) "समुचित प्राधिकारी" से अभिप्राय है, ऐसा नियुक्त प्राधिकारी, जिसे सरकार द्वारा सरकारी संस्था हेतु अधिसूचित किया जाए;
 - (ग) "अपीलीय प्राधिकारी" से अभिप्राय है, ऐसा अपीलीय प्राधिकारी, जिसे सरकार द्वारा सरकारी संस्था हेतु अधिसूचित किया जाए;
 - (घ) "पात्र संविदात्मक कर्मचारी" से अभिप्राय है, नियत तिथि को सरकारी संस्था में संविदा, तदर्थ या आउटसोर्स आधार पर नियोजित कोई कर्मचारी;
 - (ड.) "सरकार" से अभिप्राय है, मानव संसाधन विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;
 - (च) "सरकारी संस्था" से अभिप्राय है, कोई विभाग, बोर्ड, निगम या प्राधिकरण, जिसके अधीन पात्र संविदात्मक कर्मचारी, इस अध्यादेश की प्रारम्भ की तिथि को कार्यरत था;
 - (छ) "विहित" से अभिप्राय है, इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;
 - (ज) "अनुसूची" से अभिप्राय है, इस अध्यादेश से संलग्न अनुसूची;
 - (झ) "अधिवर्षिता" से अभिप्राय है, अधिवर्षिता की आयु, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए।
3. पात्र संविदात्मक कर्मचारी वह कर्मचारी होगा,—

पात्रता की शर्तें।

 - (i) (क) जिसे सरकारी संस्था द्वारा संविदा आधार पर नियोजित गया है और जो नियत तिथि को ऐसी सरकारी संस्था की सेवा में है और प्रतिमास 50,000/- रुपए तक का पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा है; या

(ख) जिसे संविदात्मक व्यक्तियों का परिनियोजन नीति, 2022 के अधीन हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा परिनियोजित किया गया है और जो नियत तिथि को किसी सरकारी संस्था की सेवा में है;

(ii) जिसने नियत तिथि को पूर्णकालिक आधार पर सरकारी संस्था में कम से कम पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

व्याख्या 1.— सेवा की अवधि वह अवधि मानी जाएगी, जिसके लिए सरकारी संस्था द्वारा पात्र संविदात्मक कर्मचारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पारिश्रमिक दिया गया था और इसमें सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किसी अवकाश की अवधि भी शामिल होगी।

व्याख्या 2.— नियोजन के वर्षों की संख्या की गणना के प्रयोजनों हेतु, किसी संविदात्मक कर्मचारी, जिसने एक कैलेण्डर वर्ष में कम से कम 240 दिन के लिए पारिश्रमिक प्राप्त किया हो, को सम्पूर्ण वर्ष के लिए कार्य किया गया समझा जाएगा,

किन्तु इसमें वह कर्मचारी शामिल नहीं होगा,—

(i) जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा भागतः या पूर्णतः भुगतान वाली केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अधीन नियोजित किया गया हो; या

(ii) जिसे मानदेय आधार पर नियोजित किया गया हो; या

(iii) जिसे सरकारी संस्था द्वारा अंशकालिक आधार पर की गई सेवा के लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया गया हो; या

(iv) जिसने नियत तिथि को अठावन वर्ष की आयु पूरी कर ली हो; या

(v) जिसे इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तिथि को या से पूर्व समुचित प्राधिकारी द्वारा हटा दिया गया हो या जिसकी सेवा समाप्त कर दी गई हो।

नियोजन का कार्यकाल।

4. पात्र संविदात्मक कर्मचारी, सरकारी संस्था में निरन्तर कार्य करता रहेगा, जब तक वह अधिवर्षिता की आयु पूरी नहीं कर लेता।

पारिश्रमिक।

5. (1) पात्र संविदात्मक कर्मचारी, सरकारी संस्था में की गई सेवा के वर्षों के आधार पर प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अतिरिक्त पारिश्रमिक सहित तत्समान पद के वेतन स्तर में प्रारम्भिक वेतन के बराबर समेकित मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करेगा:

परन्तु जहां सरकारी संस्था तत्समान पद अवधारित करने में असमर्थ है, तो मामला मुख्य सचिव को भेजा जाएगा, जो अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग के परामर्श से इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए तत्समान पद अवधारित करेगा।

(2) उप-धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त पारिश्रमिक सहित समेकित मासिक पारिश्रमिक नियत तिथि को पात्र संविदात्मक कर्मचारी द्वारा आहरित पारिश्रमिक से कम नहीं होगा।

(3) पात्र संविदात्मक कर्मचारी, ऐसे अतिरिक्त लाभ भी प्राप्त करेगा, जो प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए हैं।

(4) महँगाई भत्ते में वृद्धि के तत्समान प्रत्येक वर्ष जनवरी के प्रथम दिन तथा जुलाई के प्रथम दिन से समेकित मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि की जाएगी।

(5) सरकार, इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तिथि से प्रथम वर्ष के समापन पर और उसके बाद प्रत्येक वर्ष समेकित मासिक पारिश्रमिक पर वेतनवृद्धि अधिसूचित कर सकती है।

6. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को संशोधित या पुनरीक्षित कर सकती है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, इसके जारी किए जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखी जाएगी।

7. अनुशासन, शास्त्रियों, अपीलों से सम्बन्धित मामलों और अन्य मामलों में, जो इस अध्यादेश के अधीन विशेष रूप से उपबंधित नहीं किए गए हैं, पात्र संविदात्मक कर्मचारी ऐसे नियमों से शासित होगा, जो विहित किए जाएं।

अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति।

अनुशासन, शास्त्रियां, अपीलें तथा अन्य मामले।

8. (1) यदि इस अध्यादेश के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अध्यादेश के उपबन्धों से अनुअसंगत ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु इस अध्यादेश के प्रारम्भ की तिथि से दो वर्ष की समाप्ति के बाद इस धारा के अधीन कोई भी आदेश नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

9. इस अध्यादेश या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारी के विरुद्ध कोई भी बाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

10. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सम्मुख रखा जाएगा।

11. हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम, 2019 (2019 का 13) के उपबन्ध, द्वितीय अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट के अनुसार संशोधित किए जाएंगे।

कठिनाई दूर करने की शक्ति।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

नियम बनाने की शक्ति।

2019 के हरियाणा अधिनियम 13 का संशोधन।

प्रथम अनुसूची
(देखिए धारा 5)

1.	अतिरिक्त पारिश्रमिक, निम्न अनुसार नियत किया जाएगा, अर्थात्:-		
	क्रम संख्या	नियत तिथि को नियोजन के वर्षों की संख्या	नियत तिथि को वेतन स्तर में प्रारम्भिक वेतन से अधिक अतिरिक्त पारिश्रमिक
	(i)	10 वर्ष से अधिक	वेतन स्तर में प्रारम्भिक वेतन का 15 प्रतिशत
	(ii)	8 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष तक	वेतन स्तर में प्रारम्भिक वेतन का 10 प्रतिशत
	(iii)	5 वर्ष से अधिक किन्तु 8 वर्ष तक	वेतन स्तर में प्रारम्भिक वेतन का 5 प्रतिशत
2.	प्रधान मंत्री— जन आरोग्य योजना (पी0एम0—जे0ऐ0वाई0) चिरआयु विस्तार योजना के अधीन यथा अधिसूचित या सरकार द्वारा यथा संशोधित के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल लाभ।		
3.	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 36) में विनिर्दिष्ट दरों के समान मृत्यु—एवं—सेवानिवृत्ति उपादान।		
4.	सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का केन्द्रीय अधिनियम 36) के उपबन्धों के अनुसार प्रसुति प्रसुविधा।		
5.	ऐसी नीति, जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के अनुसार हरियाणा कौशल रोजगार निगम में अनुग्रहपूर्वक अनुकंपा वित्तीय सहायता या अनुग्रहपूर्वक नियुक्ति के लाभ।		

द्वितीय अनुसूची

(देखिए धारा 11)

हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम, 2019 (2019 का 13) का संशोधन

1. हरियाणा अतिथि शिक्षक सेवा अधिनियम, 2019 (2019 का 13) (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 में, "तथापि, ऐसा समेकित मानदेय विभाग के तत्समान नियमित शिक्षकों को दिए गए न्यूनतम वेतनमान (नियमित वेतनमान में निम्नतम ग्रेड) से अधिक नहीं होगा।" शब्दों तथा चिह्न का लोप कर दिया जाएगा।
2. मूल अधिनियम की धारा 4 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—
"4क. अन्य लाभ.— अतिथि शिक्षक, नियत तिथि से हरियाणा संविदात्मक कर्मचारी (सेवा की सुनिश्चितता) अध्यादेश, 2024 की प्रथम अनुसूची की मद (2), (3), (4) तथा (5) के अधीन लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।"

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।